कर्मचारी चयन मण्डल , भोपाल

" चयन भवन" मेन रोड न. चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल 462011

फोन न.- +91-755-2578801-02-03-04, Fax: +91-755-2550498,

website: www.esb.mp.gov.in, E-Complain Id : Complaint.esb@mp.gov.in

समूह-1 उप समूह-1 के अन्तर्गत वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, एवं वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी (कार्यपालिक) पदो की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा-2023, समूह-2 उप समूह-1 के अन्तर्गत ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (कार्यपालिक) एवं अन्य समकक्ष पदो की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा-2023

ऑनलाईन आवेदन-पत्र			
आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि	: 17/04/2023	आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि	: 01/05/2023
आवेदन पत्र मे संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि	: 17/04/2023	आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि	: 06/05/2023
परीक्षा दिनांक व दिन		15 जुलाई 2023 से प्रारम्भ	

परीक्षा शुल्क		
सीधी भर्ती / संविदा पदो हेतु	अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये	रू. 500/- प्रति प्रश्न पत्र
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये (केवल म.प्र. के मूल निवासियो के लिये)	रू. 250/- प्रति प्रश्न पत्र
सीधी भर्ती – बैकलॉग		कोई शुल्क नहीं

ऑनलाईन आवेदन - कियोस्क के माध्यम से आनलाईन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपीआनलाईन का पोर्टल शुल्क रूपये 60/- देय होगा । इसके अतिरिक्त रस्टिर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20/- रू. देय होगा ।

आनलाईन परीक्षा पद्धति समय सारणी

परीक्षा का नाम	परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिये रिपोटिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढने का समय	उत्तर अंकित का समय
समूह-1 उपसमूह-1 सयुंक्त भर्ती परीक्षा 2023	15 जुलाई 2023 से प्रारम्भ	प्रथम	प्रात: 7:00 से 8:00 बजे तक	08:50 से 09:00 बजे तक (10 मिनट)	प्रात: 09:00 से 12:00 बजे तक (3:00 घंटे)
		द्वितीय	दोपहर 12:30 से 01:30 बजे तक	02:20 से 02:30 बजे तक (10 मिनट)	दोपहर 02:30 से 05:30 बजे तक (3:00 घंटे)
समूह-2 उपसमूह-1 सयुंक्त भर्ती परीक्षा 2023		प्रथम	प्रात: 7:00 से 8:00 बजे तक	08:50 से 09:00 बजे तक (10 मिनट)	प्रात: 09:00 से 12:00 बजे तक (3:00 घंटे)
		द्वितीय	दोपहर 12:30 से 01:30 बजे तक	02:20 से 02:30 बजे तक (10 मिनट)	दोपहर 02:30 से 05:30 बजे तक (3:00 घंटे)

टिप्पणी :-

1. अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है ।
2. बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। यु.आई.डी.ए.आई.(UIDAI) के द्वारा सत्यापित(Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा । मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
3. अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड / ई-आधार कार्ड / आधार कार्ड की छायाप्रति /आधार नंबर /आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य हैं ।
4. परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान आधार बेस्ड बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है ।
5. परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोटिंग समय तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी । इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अंभ्यथियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।
6. परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रानिक डिवाईस यथा मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, एवं नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णत: वर्जित है।

14 . शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिऐ विभिन्न वर्गो को प्राथमिकता –

सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल द्वारा जारी आदेश क्रमांक सी 3-9/2019/1/3 भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2022, सी 3-9/2019/1/3 भोपाल, दिनांक 06 अप्रैल 2023 के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 14/04/1972 के निर्देश में विभिन्न वर्गो को शासकीय सेवा मे नियुक्ति के लिए प्राथमिता क्रम एवं इनके साथ ही ज्ञाप क्रमांक 172/2184/1/3/8 दिनांक 27 फरवरी, 1982 के द्वारा जनगणना 1981 अतिशेष एवं ज्ञाप क्रमांक एफ सी-3-31-90-49-3 दिनांक सितंम्बर,1990 निर्वाचन अतिशेष कर्मचारियों की प्राथमिकता निम्नानुसार निर्धारित की गई है:-

01	हाल के भारत-पाक संघर्ष में अपंग हुए सैनिकों को	ए-1
02	हाल के भारत-पाक संघर्ष में मृत सैनिकों के प्रत्येक सैनिक के परिवार के अधिक से अधिक 2 आश्रित व्यक्तियों को	ए-2
03	भूतपूर्व सैनिको (Demobilised Defence forces Personnel – Exservicemen –other ranks) को	ए-3
04	निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी	बी
05	अतिशेष कर्मचारियों को	बी
06	जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारी	बी-1
07	कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को	बी-2
08	राष्ट्रीय छात्र (NCC) के उम्मीदवारों को जिनके पास "सी" प्रमाण-पत्र	सी-1
09	वर्मा एवं सिलोन से आये हुए भारतीय नागरिकों को -	सी-2

2. कंडिका 1 में उल्लेखित वर्गोक की सूची में राजस्व विभाग के अन्तर्गत कार्यरत सेक्शन राईटर्स को सम्मिलित किया जाता है।

3. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के असाधरण राजपत्र क्रमांक सी 3-10/2013/1/3 दिनांक 04 अक्टूबर 2013 से राज्य शासन अंतर्गत स्वीकृत सभी कनिष्ठ पदों पर चयन म.प्र. कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम 2013 अंतर्गत म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाना नियत किया गया है।

4. कंडिका 3 में उल्लेखित परीक्षा की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुये शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न वर्गो को प्राथमिकता दिए जाने के विषय में अब राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि –

4.1 कंडिका 1 में उल्लेखित वर्गो के पारम्परिक प्राथमिकता क्रम को समाप्त किया जाता है।

4.2 कंडिका 1 एवं 2 में उल्लेखित वर्गो के उम्मीदवारों को म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष निर्धारित की जाती है।

4.3 कंडिका 1 एवं 2 में उल्लेखित वर्गो के उम्मीदवारों को म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त प्राप्तंक में 5 प्रतिशत अंतिरिक्त अंक प्रदान किये जायेंगे।

15. प्रमाण पत्रों का सत्यापन तथा नियुक्ति की प्रक्रिया -

14 . **शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिऐ विभिन्न वर्गो को प्राथमिकता –**

सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल द्वारा जारी आदेश क्रमांक सी 3-9/2019/1/3 भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2022, सी 3-9/2019/1/3 भोपाल, दिनांक 06 अप्रैल 2023 के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 14/04/1972 के निर्देश में विभिन्न वर्गो को शासकीय सेवा मे नियुक्ति के लिए प्राथमिता क्रम एवं इनके साथ ही ज्ञाप क्रमांक 172/2184/1/3/8 दिनांक 27 फरवरी, 1982 के द्वारा जनगणना 1981 अतिशेष एवं ज्ञाप क्रमांक एफ सी-3-31-90-49-3 दिनांक सितंम्बर,1990 निर्वाचन अतिशेष कर्मचारियों की प्राथमिकता निम्नानुसार निर्धारित की गई है:-

01	हाल के भारत-पाक संघर्ष में अपंग हुए सैनिकों को	ए-1
02	हाल के भारत-पाक संघर्ष में मृत सैनिकों के प्रत्येक सैनिक के परिवार के अधिक से अधिक 2 आश्रित व्यक्तियों को	ए-2
03	भूतपूर्व सैनिको (Demobilised Defence forces Personnel – Exservicemen –other ranks) को	ए-3
04	निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी	बी
05	अतिशेष कर्मचारियों को	बी
06	जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारी	बी-1
07	कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को	बी-2
08	राष्ट्रीय छात्र (NCC) के उम्मीदवारों को जिनके पास "सी" प्रमाण-पत्र	सी-1
09	वर्मा एवं सिलोन से आये हुए भारतीय नागरिकों को -	सी-2

2. कंडिका 1 में उल्लेखित वर्गोक की सूची में राजस्व विभाग के अन्तर्गत कार्यरत सेक्शन राईटर्स को सम्मिलित किया जाता है।

3. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के असाधरण राजपत्र क्रमांक सी 3-10/2013/1/3 दिनांक 04 अक्टूबर 2013 से राज्य शासन अंतर्गत स्वीकृत सभी कनिष्ठ पदों पर चयन म.प्र. कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम 2013 अंतर्गत म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाना नियत किया गया है।

4. कंडिका 3 में उल्लेखित परीक्षा की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुये शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न वर्गो को प्राथमिकता दिए जाने के विषय में अब राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि –

4.1 कंडिका 1 में उल्लेखित वर्गो के पारम्परिक प्राथमिकता क्रम को समाप्त किया जाता है।

4.2 कंडिका 1 एवं 2 में उल्लेखित वर्गो के उम्मीदवारों को म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष निर्धारित की जाती है।

4.3 कंडिका 1 एवं 2 में उल्लेखित वर्गो के उम्मीदवारों को म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त प्राप्तंक में 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंक प्रदान किये जायेंगे।

15.प्रमाण पत्रों का सत्यापन तथा नियुक्ति की प्रक्रिया -